न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—338 / 2016 / 225आर.टी.एक्ट (2016 / 00338)

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री भगवानदास श्यामनानी, जाति सिन्धी, निवासी 488 क / 22 बालूपुरा रोड, गली नम्बर 5, जय भवानी मार्ग, आदर्श नगर, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती रूक्मा पत्नी श्री छोगा।
2. कैलाश पुत्र श्री छोगा।
3. महेन्द्र पुत्र श्री छोगा।
4. सीमा पुत्री श्री छोगा।
5. श्रीमती राधा पत्नी श्री पदमा।
6. सोहन पुत्र श्री पदमा।
7. शैतान पुत्र श्री पदमा
8. काना पुत्र श्री पदमा।
9. शेर सिंह पुत्र श्री पदमा।
10. कुमारी सोहनी पुत्री श्री पदमा।
11. शीला पुत्री श्री पदमा।
12. गुलाब देवी पत्नी श्री भैरू।
13. मनसिंह पुत्र श्री भैरू।
    समस्त जाति रावत, समस्त निवासीगण—ग्राम पालरा, तहसील व जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेल्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, प्रकरण सं० 6 / 2014,

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री विजय सिंह रावत वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 9, 12, 13.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 14
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व 10,11 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—30.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2014 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पालना तहसील व जिला अजमेर के खाता संख्या 645 जमावंदी सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में व आधिपत्य में चली आ रही है। जिसके सबूत में जमावंदी सलंग्न की गई। प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर अपीलार्थी 1549, रकबा 0.300 व खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.0300 में आने जाने का मौके पर कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने कारण आने–जाने व फसल को लाने व ले जाने में पड़ौसी काश्तकार ऐतराज करते है इस कारण आये दिन पडौसियों से कहासुनी होती है इसलिए यह आवेदन--पत्र वास्ते आमद रफत को सुचारू करने के लिए, ऐतराज करने वाले पडौसियो के खेत खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.2400 के दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर पश्चिमी मेड़ के सहारे--सहारे जाकर खेत खसरा नम्बर 1548 के कोने पर पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर अपीलार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1549 के कोने पर मिली हुयी 20 फीट चौड़े रास्ते की सुविधा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे बिना अपीलार्थी को सुने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार एक तरफा फैसला करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04, 10, 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 31.05.2016 कोनियत था जिसमें आगामी पेशी दिनांक 26.07.2016 नियम की गई थी। न्याय आपके द्वारा (कैम्प कोर्ट)की भी अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी और कैम्प कोर्ट दिनांक 21.06.2016 को अपीलार्थी को बिना सुने, अपना पक्ष रखे ही आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट की ना ही कोई सूचना विधिक नोटिस द्वारा अपीलार्थी को दी गई और ना ही अपीलार्थी को कैम्प कोर्ट की जानकारी दी गइ। अपीलार्थी को दिनांक 26.07.2016 को जब अधीनस्थ न्यायालय से तारीख पेशी पर जो नियत थी को ज्ञान हुआ कि उक्त प्रकरण में कैम्प कोर्ट दिनांक 21.06.2016 को आदेश पारित कर दिये गये है, तो अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आदेश की प्रति के लिए आवेदन कर, प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के पक्ष में विवादित आराजी में से रास्ता दिलाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में डी.एन.जे. 2017 (रेवेन्यू) पेज 168, डी.एन.जे. 2016 (रेवेन्यू) पेज 222, डी.एन.जे. 2019 (रेवेन्यू) पेज 212 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 9, 12, 13 ने दौराने जवाब/बहस में निवेंदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251 ख राज.काश्तकारी अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया गया है, जिसके संदर्भ में उल्लेख है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में चाहा गया अनुतोष एवं वर्णित धारा 251 ख राज.काश्तकारी अधिनियम में न तो वर्णित/उल्लेखित है तथा ना ही वर्णित धारा के संदर्भ में कानूनन कोई रास्ता उपलब्ध कराये जाने का कोई वैधानिक कार्यवाही अथवा प्रावधान है इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अधीन किसी प्रकार अनुतोष प्रदत्त नहीं किया जा सकता है तथा ना ही वर्तमान अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष कानूनन पोषणीय नही होने से चलने योग्य नही है। प्रार्थिया/अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र में जो अनुतोष चाहा गया है वह केवल मात्र सुविधा के लिए नया रास्ता स्वीकृत कराये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिगण/अपीलांट को रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता नही है तथा केवल मात्र मौके पर आवासीय गतिविधियॉ के अुनसरण में मौके पर प्लाटिंग की जाकर भू–खण्डो के रूप में हस्तातंरण करने एवं सुसगम रास्ता उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। मौका रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है कि भूमि कृषि से अकृषि में उपयोग ली जा रही है तथा भूमिधरी की हैसियत से विना संपरिवर्तन के अकृषि उपयोग में लेने से सहमति नही है। मान्नीय न्यायालय द्वारा अपील निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में फरमावें, जो कि न्याय संगत एवं विधि सम्मत होगा। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपने समर्थन में 2021 आर.बी.जे. पेज 299, आर.बी.जे. (27)2020 पेज 35 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण में दिनांक 31.05.2016 को नियत था जिसमें आगामी पेशी दिनांक 26.07.2016 नियत की गई थी तथा पत्रावली को दिनांक 21.06.2016 को कैमप कोर्ट में नियत की गई, जिसकी सूचना किसी भी पक्षकार को नहीं दी गयी तथा दिनांक 21.06.2016 को उक्त प्रकरण को इस प्रकार से निर्णित किया गया है कि " प्रार्थी द्वारा आने–जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने व वर्तमान आवागमन खसरे से रास्ता नहीं चाहने के कारण प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है" तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1645 व 1648 में से प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है तथा मौके रिपोर्ट में केवल खसरा नम्बर 1645 में आवासीय कॉलोनी है जिससे आवागमन करती है तथा खसरा नम्बर 1548 में से रास्ते लगभग 20 मीटर की लम्बाई आवश्यकता है अंकित करते हुए बनाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट में न तो प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में नहीं बनायी गई। अपील गुणावगुण पर निर्णित नहीं की जाकर केवल तकनीकी आधार पर निर्णित की जा रही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने समक्ष जैरकार प्रकरण संख्या 6/2014 अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम को धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् बने नियमों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। इस

महत्वपूर्ण बिन्दु को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया है। धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् बने नियम के नियम 69 के तहत् रास्ते का प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से मौके रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में ही तैयार की जानी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा मौका रिपोर्ट बिना पक्षकार को सूचित किये एवं प्रकरण में सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट बाबत् नोटिस नहीं दिये गये है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2021 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निम्न निदेर्शो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 6/2014 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की सम्यक तामील की कार्यवाही कि जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावें तथा जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी स्वयं से मौका निरीक्षण कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता /लघुतम रास्ता /केवल सुविधाजनक रास्ता ना हों एवं विशेष कर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव के बिन्दुओ की विवेचना करतें हुए पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.9.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता हैं।पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर